<u>मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी</u>

प्रकीर्ण वाद संख्या–30/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 477/2016)
श्रीमती भुवानी बाई आदि बनाम मुहम्मद मुवीन,

<u>19.06.2020</u>

प्रार्थीगण/याचीगण भुवानी बाई आदि ने एम.ए.सी.पी. सं. 477/2016 में पारित एवार्ड मुब. 13,46,000/– रुपये मय 7 प्रतिशत साधारण ब्याज को वापस प्राप्त करने के लिये यह 3B प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र 4 सी2 प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थीगण ने अपने–अपने आधार कार्ड एवं पास बुक की छाया प्रतियॉ, उक्त वाद में पारित डिक्री की सत्य प्रतिलिपि व माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. 3296/2019 भारती एक्सा जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. बनाम भुवानी बाई एवं 6 अन्य में दिनॉक 10.12.2019 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति दाखिल की है। प्रकरण में मूल पत्रावली एम.ए.सी.पी. सं. 477/2016 अवलोकनार्थ तलब हुयी है, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 17.08.2019 के अनुसार मुब. 13,46,000/– रुपये मय 7 प्रतिशत साधारण ब्याज का एवार्ड पारित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. के अनुसार जमाशुदा धनराशि का पचास प्रतिशत याचीगण को अदा किया जाना है तथा पचास प्रतिशत धनराशि को याचीगण के नाम अधिकतम ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना में कम से कम 3 वर्ष के लिये जमा किया जाना है। कार्यालय की चेक पंजिका के अनुसार क्रमांक सं. 45 पर मुब. 13,21,000/–व क्रमांक सं. 46 मुब. 3,08,318/–रुपये एवार्ड धनराशि मय ब्याज पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी में न्यायाधिकरण के खाते में जमा है। प्रार्थीगण/याचीगण सं. 1 लगायत 4 वर्चुअल न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। प्रार्थीगण/याचीगण ने अपनी–अपनी पास बुक की छाया प्रतियॉ पत्रावली पर दाखिल की है। मेरे विचार से प्रार्थीगण/याचीगण सं. 1 लगायत 4 उक्त धनराशि में से प्रार्थिया/याचिया सं. 5 श्रीमती नन्ही बाई जो कि मृतक की मॉ है, की प्रतिकर की धनराशि 1,00000/– (एक लाख) रुपये व उस पर दिनॉक 17.08.2019 से 7% साधारण ब्याज के अतिरिक्त अवशेष धनराशि को माननीय उच्च न्यायालय व न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुक्रम में पाने के अधिकारी हैं।

<u>आदेश</u>

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा झोकनबाग, झांसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. 477/2016 श्रीमती भुवानी बाई आदि बनाम मुहम्मद मुवीन आदि के प्रकरण में क्षतिपूर्ति की धनराशि 13,46,000 के सापेक्ष मय ब्याज जमा धनराशि 16,29,318/– (सोलह लाख उन्तीस हजार तीन सौ अठारह) रुपये व उस पर अर्जित अग्रेतर ब्याज में से प्रार्थिया/याचिया सं. 5 श्रीमती नन्ही बाई जो कि मृतक की मॉ है, के भाग की प्रतिकर की धनराशि 1,00000/– (एक लाख) रुपये व उस पर दिनॉक 17.08.2019 से 7% साधारण ब्याज को छोड़कर, प्रार्थीगण/याचीगण सं. 1 लगायत 4 को नीचे वर्णित अनुसार धनराशि अदा करें।

प्रतिकर की धनराशि में से प्रार्थी/याची सं. 4 भूराम को प्राप्त होने वाली धनराशि मुब. 1,00000/– रुपये में से धनराशि मु. 50,000/– रुपये उसके नाम तीन वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की अधिकतम ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना के अन्तर्गत जमा करें तथा शेष धनराशि मुब. 50,000/– व उसके भाग की धनराशि रु. 1,00,000 पर दिनॉक 17.08.2019 से 7% साधारण ब्याज उसके खाता सं. 94160100274042 प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिये अबिलम्ब स्थानान्तरित करें।

याची सं. 2 लाख चन्द्र व याची सं. 3 नन्दराम के भाग की धनराशि मु. 4,00,000/– प्रत्येक में से प्रत्येक के दो–दो लाख रुपये उनके नाम तीन वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.12 12:44:11 IST
Reason: Document Owner
Location: PO MACT JHANSI

की अधिकतम ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना के अन्तर्गत जमा की जावेगी तथा उनकी शेष धनराशि मु. 2,00000/– (दो लाख) रुपये प्रत्येक व उनके भाग की धनराशि रु. 4,00,000 प्रत्येक पर दिनॉक 17.08.2019 से 7% साधारण ब्याज उनके क्रमशः खाता सं. 94160100274050 प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक व खाता सं. 94160100274034 प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिये अबिलम्ब स्थानान्तरित करें।

याचिया/प्रार्थिया सं. 1 भुवानी बाई के भाग की प्रतिकर धनराशि रु. 3,46,000/– मे से 1,73,000 रु. उनके नाम तीन वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की अधिकतम ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना के अन्तर्गत जमा की जावेगी तथा शेष धनराशि व उसके भाग की धनराशि रु. 3,46,000 पर दिनॉक 17.08.2019 से 7% साधारण ब्याज उसके खाता सं. 94160100271544 सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक मऊरानीपुर आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिये अबिलम्ब स्थानान्तरित करें। उक्त अनुसार अनुपालन आख्या तीन दिन के अन्दर न्यायालय को प्रेषित की जाय तथा उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. न्यायालय में दाखिल करें 3B प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.,एम.ए.सी.टी.,झांसी

12.08.2020

Heard on amendment application 3B and release application 3B in the Virtual Court and perused the record. There are apparent mistakes in above order dated 19.06.2020 regarding in whose name 50% amount have to be fix deposited for 3 years and whether Bhooram S/o Madali as on petition and Dhooram S/o Fadali as on bank passbook, pan card and aadhar card are the same person or not hence above order dated 19.06.2020 is being canceled hereby. On perusal of the F.A.F.O. 3296 of 2019 it is apparent that following order has been passed by the Hon'ble High Court Allahabad in this matter-

> **"On appellant depositing the entire awarded amount before the Tribunal, the execution of the order impugned shall remain stayed. Out of the entire deposited amount, 50% shall be allowed to be withdrawn by claimants and 50% shall be invested in a Fixed Deposit Account-carrying maximum interest for minimum period of three years and the interest on it be paid to claimants."**

The summoned record of M.A.C.P No. 477 of 2016 shows that an award of compensation ₹ 13,46,000 with 7% simple interest from the date of the institution of petition was passed in favor of the petitioners/applicants. As per office record at S.N. 45 & 46 of the cheque register **₹ 16,29,318** is deposited in the PNB. The identity of Bhooram S/o Madali is not doubtful as photographs on the petition, bank passbook, pan card and aadhar card are of the same person. Documentary evidence e.g. FIR, Charg Sheet, Postmortem Report etc. also shows name of the father of the deceased as Dhooram. It appears that Bhooram S/o Madali has been written in the petition due to dictation-typing error. All applicants have submitted their photocopies of bank passboks, aadhar cards and pan cards. Smt. Nanhibai has not applied for release. I am satisfied that applicants have right to get back compensation as per award and order of the Hon'ble High Court, hence-

Order

Punjab National Bank Jhokan Bagh Jhansi is ordered to disburse deposited amount of **MACP No. 477 of 2016 Smt. Bhwani Bai and ors. Vs. Mohammad Mobin and ors.** according to the following sheet-

Applicant/ Petitioner	Ammount in Rs.	+(% of) Interest Accrued on Deposited	Mode of disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC

		Amount				
1. Smt. Bhuwani Bai	157329	9.66	RTGS/NEFT	94160100271544	Sarv U. P. Grameen Bank	PUNB0SUPGBS
1. Smt. Bhuwani Bai	157329	9.66	FD for 1 Year		Any Nationalized Bank	
2. Lakh Chandra	100000	6.14	RTGS/NEFT	94160100274050	Prathma U. P. Grameen Bank	PUNB0SUPGBS
2. Lakh Chandra	100000	6.14	FD for 1 Year		Any Nationalized Bank	
3. Nandram	100000	6.14	RTGS/NEFT	94160100274034	Prathma U. P. Grameen Bank	PUNB0SUPGBS
3. Nandram	100000	6.14	FD for 1 Year		Any Nationalized Bank	
4. **Dhooram** (Bhooram)	25000	1.53	RTGS/NEFT	94160100274042	Prathma U. P. Grameen Bank	PUNB0SUPGBS
4. **Dhooram** (Bhooram)	25000	1.53	FD for 1 Year		Any Nationalized Bank	
5. Smt. Nanhibai	25000	1.53	Keep the amount in Bank till further orders.	---	---	--
5. Smt. Nanhibai	25000	1.53	Keep the amount in Bank till further orders.	---	---	--
MACP No. 477 of 2016 Motor Accident Claim Tribunal Jhansi	814660	50	FD for 3 Years	9.66%, 6.14% and 6.14% of the total interest on FD shall be paid to the Smt. Bhuwani Bai, Lakh Chandra and Nandram respectively through RTGS/ NEFT	Any Nationalized Bank carrying highest interest	
TOTAL	**1629318**	100				

(Chandroday Kumar)
Presiding Officer
Motor Accident Claim Tribunal
JHANSI